न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —36/2025 (अपील)

GCMS No.- 2025/43

बंगालीमल शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप शर्मा निवासी प्लॉट नं0 1, लक्ष्मी भवन, चुंगी, रंगपुर रोड, आदर्श नगर, कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

सुरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बंगालीमल शर्मा, निवासी गली नं0 1, चौपडा फार्म, कोटा जंक्शन कोटा (राज0)

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 10 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 31.01.2025 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा प्रकरण संख्या 43/2021 उनवान बंगालीमल बनाम सुरेन्द्र

उपस्थितः—

1. श्री बाबूलाल मेघवाल, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री फजल अहमद, रानी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक—20.05.2025

1 प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 5(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मकान चौपड़ा फार्म गली नं0 1 कोटा जंक्शन को अप्रार्थी से खाली कराया जाकर कब्जा प्रार्थी को संभलाया जावें । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 6.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 3.09.2021 को निर्णय पारित किया था कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों संयुक्तरूप से वर्तमान में भू स्वामी है, इस कारण अप्रार्थी के विरूद्व बेदखली नहीं की जा सकती है । प्रार्थी बंगालीमल का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया । निर्णय दिनांक 3.9.2021 के विरूद्व इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अपील संख्या 43/2021 उनवान बंगालीमल बनाम सुरेन्द्र शर्मा में इस न्यायालय से दिनांक 3.11.2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी कोटा को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उभयपक्ष की सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया । इस न्यायालय के रिमाण्ड आदेश दिनांक 3.11.2021 की पालना में उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 43/2021 दर्ज कर बाद सुनवाई दिनांक 31.01.2025 को निर्णय पारित किया है कि—**"वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी सुरेन्द्र को पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त मकान के ग्रउण्ड फ्लोर पर प्रार्थी के उपयोग उपभोग एवं निवास में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करें, प्रार्थी के साथ लडाई झगडा, मारपीट एवं गाली गलोच इत्यादि नहीं करें । प्रार्थी को शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने दें ।"**

जिला कलक्टर
कोटा

2 अपीलांट बंगालीमल द्वारा आदेश दिनांक 31.01.2025 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.03.2025 को पेश की गई है कि रेस्पोडेन्ट सुरेन्द्र शर्मा द्वारा अपीलांट के साथ कई बार मारपीट की गयी है । उक्त मकान अपीलांट ने अपनी निजी आय की राशि से निरंजन लाल विजयवर्गीय से जो मकान खरीदा है उसका संपूर्ण पैसा अपीलांट द्वारा अदा किया गया है जो रजिस्ट्री में अंकित है । रेस्पोडेन्ट ने रजिस्ट्री करवाते समय उक्त मकान के संबंध में कोई पैसा नहीं दिया गया है न ही पैसों के संबंध में रजिस्ट्री में इसके संबंध में अंकन है । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में प्रावधित नियम, निर्देश एवं सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

3 अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक रानी, फजल अहमद का वकालतनामा पेश हुआ । अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित । विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4 अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी कोटा ने प्रार्थना पत्र संख्या 102/2021 अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का वाद प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को बराबर फैसला दिया था तद्उपरान्त प्रार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा में अपील पेश की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया गया तथा पुनः सुनकर पत्रावली में फैसला किया, पुनः अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर फैसले में कोई फेरवदल नहीं किया, फैसला बरकरार रखा गया । प्रार्थी सीनियर सिटीजन बंगालीमल शर्मा के आर्टीकल–14 का उल्लंघन किया तथा प्रार्थी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ जो कि विधि सम्मत नहीं है । प्रार्थी का पुत्र सुरेन्द्र कुमार अपने वृद्व माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है जबकि प्रार्थी की आयु 75 वर्ष है जिनके भरण पोषण की गारन्टी प्रार्थी के पुत्र ने ली थी किन्तु अपने वृद्व माता पिता का भरण पोषण करने में पूर्ण रूप से सक्षम था और सुरेन्द्र शर्मा ने अपने निवास हेतु प्रार्थी का आधा मकान इस शर्त पर ही लिया था कि वह उनका भरण पोषण करेगा और इसी शर्त पर प्रार्थी ने अपने मकान का आधा हिस्सा अपने पुत्र सुरेन्द्र कुमार को रहने हेतु दिया था । उक्त मकान की रजिस्ट्री में प्रार्थी ने लिखाया था कि मैने उक्त मकान निरंजन लाल विजयवर्गीय से खरीदा था जिसके विक्रय प्रतिफल की राशि पांच लाख पचाय हजार रूपये चैक के माध्यम से व दो लाख रूपये नकद स्वयं प्रार्थी बंगालीमल ने दिये थे । उक्त रजिस्ट्री में दोनों पक्षों के फोटो व हस्ताक्षर लगे है । रजिस्ट्रार महोदय ने उस समय निरंजन लाल से पूछा था कि क्या तुमने मकान की प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली तो निरंजनलाल ने कहा हां मैने प्राप्त करली है । उक्त दस्तावेज में प्रार्थी द्वारा आधा लाईसेन्सी अधिकार सुरेन्द्र कुमार का होना अंकित इसलिये करवाया था कि प्रार्थी के मरने के पश्चात उसकी सम्पत्ति को लेकर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो तथा और इसी आशय से प्रार्थी ने निरंजनलाल विजयवर्गीय से यह कहलवाया था कि मैने राशि प्राप्त करली है जिससे सुरेन्द्र कुमार प्रार्थी का भरण पोषण करता रहेगा । उसके पश्चात सुरेन्द्र कुमार के मन में लालच व बदनियत आ जाने के कारण सुरेन्द्र कुमार ने प्रार्थी से कहा कि मै तुम्हारा संपूर्ण भरण पोषण करता रहूंगा तुम समस्त मकान को मेरे नाम कर दो तथा तुम्हारे पास जो बैंक में राशि है उसे भी मेरे नाम कर दो जिस पर प्रार्थी द्वारा मना करने पर सुरेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थी के साथ अभद्रता की गई मारपीट की गई और मकान से प्रार्थी को निकाल दिया तथा उक्त मकान संजय नगर गली नं0 9 कोटा के मकान में प्रार्थी की पत्नी व लडका रहता है और प्रार्थी अपने मकान से इसलिये निकल गया क्योंकि प्रार्थी को अपनी जान का खसरा निरन्तर बना हुआ था । उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो फैसला ग्राउण्ड फ्लोर में रहने को दिया गया वह प्रार्थी की मौत का कारण बनेगा क्योंकि सुरेन्द्र कुमार ने प्रार्थी को चेतावनी /धमकी दे रखी है कि प्रार्थी को गला दवा दिया जायेगा, चंबल में फेंक दिया जायेगा तथा सुरेन्द्र शर्मा

जिला कलक्टर
कोटा

द्वारा अपनी पत्नी के कपडे फडवाकर अपने पिता अर्थात बंगालीमल पर बलात्कार का केस दर्ज करवाकर उसे जेल में बंद करवाने की धमकी भी दी जा चुकी है । उक्त मकान जो कि प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है तथा जिस पर प्रार्थी ने अपनी कमाई से काफी पैसा भी खर्च किया तथा सुरेन्द्र कुमार ने न तो एक रूपया भी नहीं लगाया ओर न ही किसी प्रकार का कोई सहयोग किया है । प्रार्थी बंगालीमल शर्मा की पत्नी सरोज कुमारी ने हनुमान प्रसाद पाण्डे से अवैध संबंध बनाये हुये है जो कि संजय नगर वाले मकान के पट्टे में अपना नाम सरोज कुमारी पत्नी हनुमान प्रसाद पाण्डे लिखाया है जिसमें शुद्विकरण हेतु यूआईटी में प्रार्थना पत्र लगाया कि असली पति बंगालीमल शर्मा है जिस पर युआईटी ने जवाब दिया कि सरोज कुमारी ने अपने शपथ पत्र में अपना पति हनुमान प्रसाद पाण्डे को स्वीकार किया है इस कारण से पट्टे में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सकता है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरोज कुमारी की संताने किसकी है इसलिये प्रार्थी बंगालीमल शर्मा ने डी एन ए टेस्ट करवाये जाने की मांग की है जिससे वास्तविकता न्यायालय के सामने आयेगी कि संताने किसकी है । यह गुप्त कागजात /कारनामों का पता जब प्रार्थी बंगालीमल शर्मा को चला तो प्रार्थी ने कहासुनी की जिस पर सुरेन्द्र कुमार व सरोज कुमारी ने प्रार्थी के साथ बदतमीजी की तथा तीनों बेटो से मारपीट करवाई जिस पर प्रार्थी द्वारा शिकायत करने पर थाने में इन लोगों ने प्रार्थी से माफी मांगी तथा भविष्य में नहीं करने हेतु 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखकर भी दिया । उक्त दस्तावेज प्रार्थी के पास मौजूद है । अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार कर निर्णय पारित करें ।

3. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रथम तो अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है, धारा 10 में अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं होने से खारिज फरमाई जावें । साथ ही अपीलांट जिस मकान चौपड़ा फार्म गली नंबर 1, कोटा से रेस्पोडेन्ट को बेदखल करवाना चाहता है वह मकान अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा संयुक्त रूप से निरंजनलाल विजयवर्गीय से क्रय किया था, जिसकी बराबर आधी रकम रेस्पोडेन्ट ने अदा की थी, इसी आधार पर उक्त मकान संयुक्त रूप से अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के नाम से रजिस्टर्ड है । मकान में आधा हिस्सा रेस्पोडेन्ट का भी होने से अपीलांट, रेस्पोडेन्ट को बेदखल नहीं करा सकते है । वादग्रस्त प्रोपटी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के संयुक्त स्वामित्व की है, जिसमें रेस्पोडेन्ट का भी आधा हिस्सा निहित है । अपीलांट विभाजन का दावा सिविल न्यायालय में पेश करने के लिए स्वतंत्र है, किन्तु अपीलान्ट ने अभी तक विभाजन का दावा पेश नहीं किया है । रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है । उक्त वादग्रस्त मकान में रेस्पोडेन्ट पत्नि एवं बच्चों के साथ निवास करता है, अपीलांट ने पत्नि को पक्षकार नहीं बनाया है, केवल रेस्पोडेन्ट सुरेन्द्र शर्मा को ही घर से निकालना चाहता है । इन्ही आधारों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसके ग्राउण्ड फलोर पर प्रार्थी के उपयोग उपभोग एवं निवास में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करने एवं लड़ाई झगड़ा नहीं करने के आदेश पारित किया है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन बलहीन होने से खारिज योग्य है ।

4. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 5(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मकान चौपड़ा फार्म गली नं0 1 कोटा जंक्शन को अप्रार्थी को बेदखल करने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 3.09.2021 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों संयुक्तरूप से वर्तमान में भू स्वामी है, इस कारण अप्रार्थी के विरूद्व बेदखली नहीं की जा सकती है । निर्णय दिनांक 3.9.2021 के विरूद्व इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अपील संख्या 43/2021 उनवान बंगालीमल बनाम सुरेन्द्र शर्मा में इस न्यायालय से दिनांक 3.11.2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी कोटा को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों

जिला कलक्टर
कोटा

का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उभयपक्ष की सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया । इस न्यायालय के रिमाण्ड आदेश दिनांक 3.11.2021 की पालना में उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 43/2021 दर्ज कर बाद सुनवाई दिनांक 31.01.2025 को निर्णय पारित किया है कि–"वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी सुरेन्द्र को पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त मकान के ग्रउण्ड फ्लोर पर प्रार्थी के उपयोग उपभोग एवं निवास में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करें, प्रार्थी के साथ लडाई झगडा, मारपीट एवं गाली गलोच इत्यादि नहीं करें । आदेश दिनांक 31.1.2025 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 25.03.2025 को पेश हुई जो अन्दर मियाद है ।

5. प्रस्तुत अपील में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि वादग्रस्त मकान क रजिस्ट्री में रेस्पोडेन्ट सुरेन्द्र कुमार का नाम इसलिए रखवाया था कि वह अपीलांट का भरण पोषण करता रहेगा, किन्तु मकान की सम्पूर्ण राशि पांच लाख पचास हजार रूपये चैक के माध्यम से व दो लाख रूपये नकद स्वयं अपीलांट ने निरंजनलाल विजयवर्गीय को अदा किये थे । उक्त मकान की सम्पूर्ण राशि अपीलांट ने अदा करने से उक्त वर्णित मकान का मालिकाना हक अपीलांट अपना बताते है । हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न उक्त मकान के विक्रय पत्र का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया है कि उक्त वर्णित मकान निरंजन कुमार विजय ने भूखण्ड संख्या 8 चौपड़ा फार्म गली नं0 1 में निर्मित मकान 20 गुना 42 वर्ग फीट कुल 840 वर्गफीट का विक्रय बंगालीमल शर्मा आत्मज रामस्वरूप शर्मा एवं सुरेन्द्र कुमार शर्मा आत्मज बंगालीमल शर्मा निवासीगण मकान नं0 17 गली नं0 9 संजय कोलोनी चम्बल मार्ग कोटा को बकीमत 7,50,000/– में विक्रय करने का उल्लेख है तथा उक्त कीमत दौनो क्रेतागण से प्राप्त करने का उल्लेख है । इससे तो यह स्पष्ट हो रहा है कि उक्त वादग्रस्त मकान अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के संयुक्त स्वामित्व का है, जिसमें रेस्पोडेन्ट का भी आधा हिस्सा होने से रेस्पोडेन्ट को बेदखल किया जाना उचित नहीं है । रेस्पोडेन्ट द्वारा भी एक शपथ पत्र अपीलांट की पत्नि एवं रेस्पोउेन्ट की माता के द्वारा दिनांक 2.11.2021 को आलेखित कराया हुआ की फोटो प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें भी उक्त मकान बंगालीमल एवं सुरेन्द्र शर्मा द्वारा संयुक्तरूप से क्रय करना व बराबर बराबर हिस्सा होने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि सुरेन्द्र शर्मा द्वारा मेरे एवं मेरे पति के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं की गई है ओर ना ही किसी प्रकार से बेदखल किया गया है । अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय एवं इस अपील में भरण पोषण के सम्बन्ध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, केवल रेस्पोडेन्ट की वादग्रस्त मकान से बेदखली चाही गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं कानूनी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हम कोई दोष नहीं पाते है । प्रस्तुत अपील सारहीन एवं विधिक रूप से अस्वीकार योग्य पाते है ।

6. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.01.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

7. निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. राघेन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा